



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12112021-231069
CG-MH-E-12112021-231069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]
No. 549]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 12 अक्टूबर, 2021

विवि.आरयूआर. एस1765 /31.04.002/2021-22.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में "आरबीआई अधिनियम" कहा गया है), नीचे दिए गए मद सं. (क) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने और मद सं. (ख) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु निदेशित करता है।

पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम (क)	नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम (ख)
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बड़ौदा यूपी बैंक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	
पूर्वांचल बैंक	

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./407/2021-22]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th October, 2021

DOR.Rur. S1765 /31.04.002/2021-22.—In exercise of the powers conferred under clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of the Regional Rural Banks indicated below at column No. [A] from the second schedule of the RBI Act and the inclusion of the Regional Rural Bank indicated below at column No. [B] in the second schedule of the RBI Act.

Name of the erstwhile Regional Rural Banks [A]	Name of new Regional Rural Bank [B]
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	Baroda UP Bank, Gorakhpur, Uttar Pradesh
Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	
Purvanchal Bank	

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./407/2021-22]